

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

कोकूवाड़

बनाम

देवी लाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 253/2021

2022/291

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/05/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती कोकूवाड़ श्री देवाजी लोहार, कमला.शं.कामुजी लोहार, देवा शं.कामा दत्तक पुत्र मोटाजी लोहार, भेऊ - सोहती पिता श्री कालू जी लोहार

निवासी- रोजडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम रोजडा (पं.ह. तुम्कोडमा) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 576

कुल कीता 1 कुल रकबा 1.1500 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम रोजडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 576

कुल कीता 1 रकबा 1.1500 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000000 रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(श्याम सुन्दर विश्वादे)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)